आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या –348 / 2022
मोनिका कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
09.02.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायलय, पटना में दायर cwjc no-8997 / 2022 में दिनांक 30.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 56 / 2018–19 में दिनांक 19.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। जिस आदेश में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के कनछेदवा मौजान्तर्गत थाना न० 9122 खाता संख्या 35 एवं अन्य खेसरा संख्या 979 एवं अन्य में निस्पादित केवाला दिनांक 03.10.2018 में कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 100035 एवं उस पर जुर्माने की राशि 10004 अर्थात कुल 110039 / – जमा करने का आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 02.08.2022 में अंकित है कि – "It is needless to state that in case, appropriate appeal is filed within a period of four weeks from today, the Appellate Authority shall consider the same on merits without being impeded by the issue of limitation and pass a reasoned and a speaking order, forthwith." माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई एवं अपीलकर्ता को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई। सूचना भेजे जाने के बावजूद अपीलकर्ता इस वाद में सूनवाई की तिथि दिनांक 16.01.2023 एवं 06.02.2023 को अनुपस्थित रहे, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में अपीलकर्ता का दस्तावेज संख्या 7098 निबंधित है। एवं Bihar Stamp & Court Fees Manual की धारा 47 A(vi) के तहत अपील दायर करने के पूर्व Deficit amount का 50% जमा करना अनिवार्य है, परन्तु अपीलकर्ता के अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त नियम का अनुपालन नही किया है। उपर्युक्त के आलोक में अपीलकर्ता के वाद में अभिरूचि नहीं रहने एवं Bihar Stamp & Court Fees Manual की धारा 47 A(vi) का अनुपालन नही करने के कारण अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL